कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

Phone/Fax- 01363-244843 **E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com**

पत्रांक 330 /चार–प्रावि0/वनभूमि पत्रा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2021–22, दिनांक 16 /08/2021,

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग हेतु 2.4165 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सन्बन्ध में (FP/UK/ROAD/27736/2017)।**

सन्दर्भः– **1:–भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0 पी0/06/146/2019/एफ0सी0/78, दिनांक 13.05.2020**

2:–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2081/FP/UK/ROAD/27736/2017, दिनांक 06.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 372, दिनांक 10.08.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई।

अवगत कराना है, उक्त अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड द्वारा अपने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित की गई थी। जिस पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/146/2019/एफ0सी0/2376, दिनांक 26.02.2021 द्वारा निम्नानुसार कतिपय कमियां इंगित की गई है।

क्र0स0	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
1	Point wise reply to the conditions of the stage-1 approval has not been submitted. State Govt. may submit the point wise reply to the all conditions of stage-1 approval letter dated 13-05-2020.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.05.2020 को निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार शर्तो के सापेक्ष खण्ड द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 372, दिनांक 10.08.2020 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः छायाप्रति संलग्न है।
2	The serial numbers of conditions mentioned in the compliance report are not matching with stage-1 approval. State Government may submit clarification in this regard and make necessary corrections	उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

क्रमश............2

क्र0स0	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
3	Compliance to Condition No. 06 & 08 has not been submitted. Which may be done.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना हैं
4	It is seen that the amount of deposited for CA scheme in CAMPA fund is more than the amount proposed amount. State Government may submit the CA scheme of Rs. 16,32,982.00.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक 3674/12–1, दिनांक 16.05.2020 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रू0 16,32,982.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 15,87,641.00 जमा किये जाने हेतु माँगपत्र इस विभाग को प्रेषित किया गया था (छायाप्रति संलग्न), जिसके अनुसार ही विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं उसके 07 से 10 वर्षो के रखरखाव हेतु रू0 16,32,982.00 एवं एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 15,87,641.00 कुल रू0 32,20,623.00 CAMPA की खाते में जमा किये गये है ।

अतः उक्तानुसार इंगित कमियों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कष्ट करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।

2:– अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर (मु0गौचर)।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

Phone/Fax- 01363-244843 **E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com**

पत्रांक 372 /चार–प्रावि0/वनभूमि पत्रा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2020–21, दिनांक 10 /08/2020,

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज–17 के अन्तर्गत लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.4165 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0 पी0/06/146/2019/एफ0सी0/78, दिनांक 13.05.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लामबगड़ (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तो के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार तीन प्रतियों में आपकी सेवा में विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

क्र0 स0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण**	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.843 है0 अवनत वनभूमि नागनाथ रेंज, क्वालोडाण्डा कक्ष संख्या 3 ए पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजापतियों की एकल कृषि से बचें।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में LA नम्बर 556, दि0 30.10.2002, 01.08.2003.28.03.2008. 24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0.सी0 ,दिनांक 03.10.2006 एवं 5:3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.4165 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षो तक रखरखाव एवं एन0पी0बी0 की देय धनराशि मु0 32,20,623.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि0 06.08.2020 द्वारा Carporation Bank, Lodhi Comlex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है **(छायाप्रति संलग्न)**।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन0पी0बी0 की धनराशि किये जाने सम्बन्धी **"बचनबद्धता प्रमाण पत्र"** संलग्न है।

क्रमश............2

क्र0 स0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
6	State Govtment will review the density and NPV keeping in view the 177 number of trees per hectare.	
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 240 trees तथा 187 saplings होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 के अनुपालन में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। उक्त मार्ग के संरेखण में पेडो की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी जायेगी।
8	DFO Will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
9	State Govt. will inform to this office if they pass any order for thee cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगें।	शर्त मान्य है।
11	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
13	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
14	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आटस प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रयाप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
19	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकंन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
21	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
22	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
23	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी	शर्त मान्य है।
24	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।

क्रमशः............3

क्र0 स0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
25	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग पर यदि एन0पी0बी0 की दरों में वृद्धि की जायेगी तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

Online payment history made by User Agenc

o.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)		
	FP/UK/ROAD/27736/2017 Construction of Lambagad (Nailbend)to Jhoomakhet Link Motor road under PMGSY	ROAD277362017656	6127736656	13 May 2020	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	1632982/- , 0/- , 0/- , 1587641/- , 0/- 0/- 0/- 3220623/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Cha
	FP/UK/ROAD/38364/2019 Construction of Bungidhar Mehalchauri bacchuwaban Motor Road km-12 to kolani link Motor road	ROAD383642019276	6138364276	29 May 2020	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	1871371/- , 0/- , 0/- , 2344875/- , 0/- 0/- 0/- 4216246/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Cha
	FP/UK/ROAD/21220/2016 construction of Bakriya Bend to Chhimta link Motor Road under PMGSY.	ROAD212202016097	6121220097	13 Mar 2020	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	0/- , 0/- , 0/- , 2789768/- , 0/- 0/- 0/- 4814405/-	Addl CA : CAT : Addl PA : C. A. :

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0:– 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 146 / 2019 / एफ0 सी0 / 78

दिनांक: 13 / 05 / 2020

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद–चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लामबगड़ (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.4165 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (**Online Proposal No. FP/UK/ROAD/27736/2017**)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– **395/1 जी–FP/UK/ROAD/27736/2017** दिनांक 31-07-2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/27736/2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड द्वारा ऑनलाईन प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – **जनपद – चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लामबगड़ (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.4165 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने के सम्बन्ध में **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.843 हे0 अवनत वन भूमि नागनाथ रेंज, कालोडाण्डा कक्ष संख्या 3 ए पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.4165 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. State Government will review the density and NPV keeping in view the 177 number of trees per hectare.
7. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 240 trees तथा 187 saplings होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
8. DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.
9. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
10. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
11. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
13. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
14. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।
15. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
17. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
19. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
20. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
21. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
22. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
23. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
24. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
25. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
26. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— / 12—1 गोपेश्वर, दिनांक 28-8—2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः— **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज—17 के अन्तर्गत लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.4165 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः— **भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0 पी0/06/146/2019/एफ0सी0/78, दिनांक 13.05.2020**

महोदय,
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में प्रेषित की जा रही हैः—

क्र0 स0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण**	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.843 है0 अवनत वनभूमि नागनाथ रेंज, कालोडाण्डा कक्ष संख्या 3 ए पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजापतियों की एकल कृषि से बचें।	शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभ्न की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त मान्य है।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IAनम्बर 556, दि0 30.10.2002, 01.08.2003.28.03.2008. 24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5—1/1998—एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5—2/2006—एफ0.सी0 ,दिनांक 03.10.2006 एंव 5:3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण ने इस प्रस्ताव के तहत 2.4165 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षो तक रखरखाव एवं एन0पी0बी0 की देय धनराशि मु0 32,20,623.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGSके माध्यम से दि0 06.08.2020 द्वाराCarporation Bank,Lodhi Comlex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003में जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि किये जाने सम्बन्धी **"बचनबद्धता प्रमाण पत्र"** संलग्न है।
6	State Govtment will review the density and NPV keeping in view the 177 number of trees per hectare.	प्रस्तावित संरेखपा में 0–10 व्यास वर्ग के छोट–छोट 187 वृक्ष है तथा 240 वृक्ष 0–10 व्यास वर्ग के है जिसके सापेक्ष एन0पी0वी0 का घनत्प 0.3 का आगणन किया गया ।
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 240trees तथा 187 saplings होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 के अनुपालन में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा।उक्त मार्ग के संरेखण में पेडो की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी जायेगी।
8	DFO Will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.	प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	State Govt. will inform to this office if they pass any order for thee cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	मान्य है।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगें।	शर्त मान्य है।
11	एफ0आर0ए0,2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
13	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
14	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
15	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आटस प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रयाप्त लकड़ी,विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
19	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकंन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
21	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
22	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।

23	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
24	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिर्शानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
25	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित नें समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग के पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विशयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 933 /12-1 दिनाँकित

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग को उनके पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

05/09/2020